

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-



सी.एस. चौहान, निवासी ए-99 सुन्दर नगर,
200 फीट बाईपास, अजमेर रोड़, जयपुर

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL--130 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.12.2019 1-1-20	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर वगैरा ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 01/01/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p> <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर कोषित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड) रायपुर को निर्देशित करके हेतु निवेदन किया गया। इस न्यायालय द्वारा जारी फाक नोटि 2019/1817 डि 17-12-2019 के द्वारा लिखा जाते पर उन्हेते अपने फाक RTI/2019/3695 डि 27-12-19 के अन्तर्गत करारा डि प्रार्थी को कार्यवाही रिपोर्ट की प्रेषा प्रति उपलब्ध करा दी गई है इस लिए अपील निरस्त करने का निवेदन किया।</p> <p>यहोमत में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है।</p> <p>पत्रावली अन्तर्गत फाक की जाकर इस न्यायालय से जखर से कर हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	